दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

दिनांक 10 फरवरी, 2021 को सुरक्षित किया गया
दिनांक 19 फरवरी, 2021 को सुनाया गया

+ ज़मानत अर्जी 3163/2020

जुनैद ... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सलीम मलिक, अधिवक्ता

बनाम

राज्य ... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस.वी. राजू, अति. महा. सो. सह श्री अमित महाजन, वि.लो.अभि., श्री अमित प्रसाद, वि.लो.अभि., श्री रजत नायर, वि.लो.अभि., श्री शांतनु शर्मा, श्री ध्रुव पाण्डेय, सुश्री सायरीका राजू, श्री ए. वेंकटेश, श्री गुंटूर प्रमोद कुमार, श्री शौर्या आर. राय, सुश्री ज़ील शाह, सुश्री आरुशी सिंह, सुश्री

मंजीत कौर और श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्तागण

+ ज़मानत अर्जी 3862/2020

चाँद मोहम्मद .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सलीम मलिक, अधिवक्ता

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस.वी. राजू, अति. महा. सो. सह श्री अमित महाजन, वि.लो.अभि., श्री अमित प्रसाद, वि.लो.अभि., श्री रजत नायर, वि.लो.अभि., श्री शांतनु शर्मा, श्री ध्रुव पाण्डेय, सुश्री. सायरीका राजू, श्री ए. वेंकटेश, श्री गुंटूर प्रमोद कुमार, श्री शौर्या आर. राय, सुश्री ज़ील शाह, सुश्री आरुशी सिंह, सुश्री

मंजीत कौर और श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्तागण

+ ज़मानत अर्जी 52/2021

इरशाद ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सलीम मलिक, अधिवक्ता

बनाम

राज्य ... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस.वी. राजू, अति. महा. सो. सह श्री अमित महाजन, वि.लो.अभि., श्री अमित प्रसाद, वि.लो.अभि., श्री रजत नायर, वि.लो.अभि., श्री शांतनु शर्मा, श्री ध्रुव पाण्डेय, सुश्री. सायरीका राजू, श्री ए. वेंकटेश, श्री गुंटूर प्रमोद कुमार, श्री शौर्या आर. राय, सुश्री ज़ील शाह, सुश्री आरुशी सिंह, सुश्री

मंजीत कौर और श्री अंशुमान सिंह,
अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत

<u>निर्णय</u>

सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी |

1. याचीगण द्वारा उपर्युक्त शीर्षक याचिकाएं भा.द.सं. की धारा 147/148/149/153-ए/302/395/397/452/454/505/506/120-बी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए थाना दयालपुर, उत्तर पूर्व जिला, दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 84/2020 वाले मुकद्दमा में ज़मानत प्रदान करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 439 सह-पठित दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत दायर की गई हैं |

2. उपर्युक्त शीर्षक याचिकाएं एक ही घटना के सम्बन्ध में दायर की गई हैं और समस्त अभियुक्तगण/याचीगण के विरुद्ध प्राथमिकी एवं अभिलेख पर साक्ष्य भी समान हैं अतः इस समान आदेश द्वारा इन सभी याचिकाओं का फैसला किया जाता है | तथापि, समस्त याचीगण के तथ्य भी चूंकि एक ही हैं अतः इन याचिकाओं का फैसला करते समय अभियुक्त जुनैद द्वारा दायर ज़मानत अर्ज़ी सं. 3163/2020 में व्यक्त किए गए तथ्य पर ही चर्चा की जा रही है |

3. अभियोजन का मुकद्दमा यह है कि दिल्ली के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भिन्न जगहों पर पत्थरबाज़ी एवं दंगे की घटनाओं की सूचना मिली थी | दिनांक 24.03.2020 को सायं 3 बजे हिन्दू भीड़ जो ना.सं.अ. के समर्थन में थी दंगल में कूद पड़ी और मुस्लिम समुदाय पर पत्थर, इत्यादि चलाने लगी और उन्हें वापिस होने पर मजबूर किया | मुस्लिम दंगाई मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र चाँद बाग़ की ओर एकत्रित हुए जबकि हिन्दू दंगाई यमुना विहार क्षेत्र

की ओर | दोनों ओर के कुछ दंगाई अपने क्षेत्र की इमारतों की छत पर पहुंचे मोहन नर्सिंग होम एवं आस-पास की इमारतों के ऊपर जबकि मुस्लिम भीड़ ने सप्तऋषि, इस्पात और एलाय प्राइवेट लिमिटेड, इत्यादि जैसी इमारतों की छत पर मोर्चा संभाला | इमारत की छत से वे एक दूसरे पर सड़क के दोनों ओर से गोलियाँ बरसा रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे | कुछ ही छणों में यह पूरे तौर पर हिन्दू मुस्लिम दंगें में बदल गया | इसी प्रक्रिया में अमुक शाहिद को बन्दुक की गोली लगी जिससे उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई |

4. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता निवेदन किये हैं कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत शिकायत अनुसार साक्ष यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयानों में चश्मदीद गवाह मुकेश कुमार (मजदूर) जो घटना के दिन और समय मौजूद था और आरक्षी अमित तथा आरक्षी

आज़ाद जो एस.ओ.सी. के पास अपने कार्य पर उपस्थित थे बयान किया है कि याचिकाकर्ता उस अवैध भीड़ में शामिल था जो लोहे के द्वार को तोड़कर सप्तऋषि भवन में जबरदस्ती घुसी और उसके वास्तविक रहने वालों अर्थात मजदूरों एवम् उनके परिवार सदस्यों को जबरदस्ती भगाकर उसपर कब्ज़ा कर लिया | वह पुलिस दल एवम् अन्य समुदाय के लोगों पर सक्रीय रूप से पत्थर / बोतल मार रहा था | भवन के मालिक ने अपने बयान द्वारा गवाही दिया है कि विरोधकर्ताओं ने नकद पटल से नकद लूटा था और सी. सी.टी.वी. कैमरा/डी.वी.आर. तोड़ दिया था | याचिकाकर्ता एक मोबाइल फोन नंबर प्रयोग कर रहा था और संपृक्त सेवा प्रदाता से उसकी सी.ए.एफ. एवं सी.डी.आर. प्राप्त की गई थी | छानबीन पर यह पाया गया कि उक्त नंबर को याचिककर्ता द्वारा अपने नाम पर निकला गया था | सी.डी.आर. की जाँच से यह भी पता चला कि घटना के दिन एवम् समय घटना स्थल पर याचिकाकर्ता का मोबाइल

फ़ोन सक्रिय था | तदनुसार सफामसल पर प्रयाप्त साक्ष प्राप्त करने के पश्चात् उसे दिनांक 01.04.2020 को वर्तमान मुकदमा के सम्बन्ध में हिरासत में लिया गया | प्राथिमिकी की प्रति अपने अंग्रेजी अनुवाद के साथ अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है |

5. यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और वर्तमान मुकद्दमे में उसे झूठे तौर पर फँसाया गया है | याचिकाकर्ता के बिरुद्ध कोई भी साक्ष नहीं है | उसे दिनांक 01.04.2020 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस द्वारा बुलाया गया था कि कुछ सामान्य पूछ ताछ हेतु वह अपेक्षित था और बयान लेने के बाद उसे वापिस भेज दिया जायेगा | उसे अपने घर से हिरासत में नहीं लिया गया था और उसे थाना बुलाया गया था जैसा कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र में स्पष्ट किया गया है | आरोप पत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की नोटिस भी है जो उपरोक्त निवेदन का प्रमाण है | याचिकाकर्ता को अभिरक्षा में लेने

के पश्चात इस मुकद्दमा में उसे झूठे तौर पर फ़साने के लिए पुलिस द्वारा बाद की कहानी बनायी गई है | भवन मालिक द्वारा दिए गए बयान में याचिकाकर्ता के बिरुद्ध कुछ भी सुसंगत नहीं है| अपने गोदाम अथवा सप्तऋषि भवन में समस्या की सूचना मिलने पर मालिक द्वारा 100 नंबर पर कोई कॉल नहीं किया गया था क्योंकि दिनांक 24.02.2020 को गंभीर स्थिति थी | इससे बढ़कर आरोप पत्र में और पुलिस द्वारा दिखाए गए सी.डी.आर. में भी कोई सबूत नहीं है जो याचिकाकर्ता की मुकद्दमे में संलिप्तता सिद्ध कर सके | आरोप पत्र में पुलिस द्वारा कोई सी.डी.आर. संचित्र पेश नहीं किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि याचिकाकर्ता अपराध स्थल पर उपस्थित था जैसा कि आरोप पत्र की पृष्ठ संख्या 275 पर दिया गया है | सप्तऋषि भवन पर विशिष्ठ उपस्थिति केवल इस आधार पर स्थापित नहीं की जा सकती है कि मोबाइल फोन मोबाइल टावर के दायरे में पाया गया था | एक

मोबाइल टावर का क्षेत्र 500 मी. तक होता है | अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो 500 मी. के दायरे में था वो सप्तऋषि भवन के अपराध स्थल पर उपस्थित था |

6. आगे निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता की संलिप्तता को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने एन.डी.टी.वी. प्राइम टाइम शो के एक विडियो पर भरोसा किया है जिसके विषय में अभियोजन ने स्वयं स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण में से किसी की भी पहचान स्थापित करने में विफल है | क्योंकि जब वो चित्र को बड़ा करते है तो चित्र फट जाते हैं और कोई फोटो नहीं लिया जा सकता जैसा की वह आरोप पत्र के पृष्ठ संख्या 38 पर लिखते है | परन्तु बहस के दौरान जब उक्त विडियो को चलाया गया तो यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि सभी चेहरे दिख रहे थे और सरलता पूर्वक पहचाने जा सकते हैं | उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी जुनैद के रूप में नहीं पहचाना गया | कारण साधारण है क्योकि वो

अपराध स्थल पर उपस्थित ही नहीं था | उसके अवलोकन पर यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष के साक्षीगण मुकेश, नारायण एवं अरविन्द कुमार के बयानात को देखते हैं तो ये सभी चेपे गए हैं और उक्त बयानात में भी कोई तथ्य नहीं है जो याचिकाकर्ता की सप्तऋषि भवन पर उपस्थिति दर्शाता हो अथवा उसे स्पष्ट रूप से पहचनवाता हो | इन तीनों गवाहों में से गवाह मुकेश ने अपने दिनांक 08.03.2020 के बयान में गवाही दिया है कि उसने इस याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला था | मुकेश द्वारा याचिकाकर्ता का विवरण भी उल्लिखित नहीं किया गया | उसके पश्चात् 01.04.2020 को जब पुराना कोतवाली भवन, दरियागंज में जाँच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को बुलाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के घटक को पूरा करने के लिए उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया गया | उस विशेष समय कोई गवाह उपस्थित नहीं था मुकेश भी नहीं | *'दंड*

प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत बयान साक्ष में ग्राह्य नहीं है और दोष सिद्ध हेतु उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता' जैसा कि फौजदारी अपील संख्या 374/2020 ***शीर्षक पर्वत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** वाले मुकद्दमा में माननीय सर्वोच्च न्यालय द्वारा दोहराया गया है | यद्यपि बचाव पक्ष इस तथ्य से अवगत है कि वो विचारण चरण में नहीं है और वो दोष मुक्ति/ बरी किये जाने की माँग नहीं कर रहे हैं बल्कि याचिकाकर्ता केवल ज़मानत माँग रहा है | विचारण अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है और उसमे अभी बहुत समय लगेगा तथा यह केवल मुकेश के बयान का आधार है जिसकी पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्ष द्वारा नहीं की गई है जिसपर अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता को हिरासत में रखना चाहता है | यदि मुकेश के बयान को आरोप पत्र से निकाल दिया जाय तो याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई साक्ष नहीं बचेगा और न ही कोई अपराध बन सकता है | इस प्रकार केवल एक ही बयान पर जो भी ततिम्मा है

और जिसे पुलिस द्वारा किसी आसान शिकार को फ़साने के लिए बाद में सोचा गया है, याचिकाकर्ता के महत्वपूर्ण एवं मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है | इसके अलावा, आरक्षी अमित एवं आरक्षी आजाद के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित बयानात भी याचिकाकर्ता की उपस्थिति स्थापित नहीं करते हैं | इस प्रकार पुलिस के पास याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई साक्ष नहीं है सिवाय पुलिस अभिरक्षा में दिया गया उसका इकबाली बयान जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है | अपराध स्थल पर याचिकाकर्ता की उपस्थिति स्थापित नहीं की गई है और न ही दोसिअर के माध्यम से पहचान करायी गई थी और न ही टी.आई.पी. करायी गई थी | इस प्रकार याचिकाकर्ता के दोष को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास उसके विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं है | इस प्रकार वर्तमान मुकद्दमा में याचिकाकर्ता जमानत का हकदार है |

7. दूसरी ओर श्री एस.वी. राजू, फ़ाज़िल अतिरिक्त महा सोलिसिटर ने प्राथमिक आपत्ति जताई है यह निवेदन करते हुए कि वर्तमान मुकद्दमा इस न्यायालय द्वारा ज़मानत अर्जी संख्या 922/2020 शीर्षक ***रईस खान बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य*** में पारित दिनांक 06.07.2020 के निर्णय में पूरी तरह से आता है जिसमे वर्तमान प्राथमिकी के में सह अभियुक्त की ज़मानत अर्जी को सहर्ष ख़ारिज किया गया था जिसका मुकद्दमा भी याचिकाकर्ता के मुकद्दमा के जैसे ही था | उक्त निर्णय के सुसंगत भाग को ताज़ा सन्दर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया जाता है :-

> *"... 7. यह आगे बहस की गई है कि लोक साक्षी मुकेश एवं अरविन्द कुमार के बयानात, यद्यपि दिनांक 08.03.2020 को अभिलिखित किये गए थे, ने उक्त भवन की छत पर उसकी उपस्थिति के बारे में अथवा छत पर किसी व्यक्ति के कथित रूप*

से बन्दूक की गोली लगने के बारे में कुछ भी नहीं बतलाया | परन्तु दिनांक 12.03.2020 को उनके बयानात पुनः अभिलिखित किये गए जिसमे उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने आवेदक जो उस समय थाना में बैठा हुआ था को उस समूह के सक्रीय सदस्य के रूप में नियमानुसार पहचान लिया था जो सप्तऋषि भवन की छत पर गया था और जिसने लातों, डंडों इत्यादि का प्रयोग करके छत की चारदीवारी को तोड़कर पुलिस और लोगों पर गोलियाँ और पत्थर बरसाए थे |

8. आवेदक के फ़ाज़िल अधिवक्ता आगे निवेदन करते है कि स्थिति आख्या में आवेदक की बताई गई भूमिका केवल पत्थर मारने और नारा लगाने की है और फ़ाज़िल मुख्य महा नगर दंडाधिकारी का आदेश दर्शाता है की आवेदक के विरुद्ध अपराध में फँसाने वाला कोई साक्ष्य नहीं सिवाय उसके इनकशाफी बयान के और इस

प्रकार दिनांक 12.03.2020 को अभिलिखित किये गए दोनों लोक साक्षीगण के ततिम्मा बयानात केवल यह दर्शाते है कि इस मुकद्दमा में इस आवेदक को झूठे तौर पर फँसाने के लिए उन्हें पढाया गया है |

9. दूसरी ओर राज्य के फ़ाज़िल विशेष लोक अभियोजक निवेदन करते है कि घटना सप्तऋषि भवन छत का था और चाँद बाग़, पीर बाबा मजार, भजनपुरा, दिल्ली का नहीं था जैसा की एन.डी.टी.वी. के फुटेज से प्रतीत है और जैसा कि फोटोग्राफ भी सप्तऋषि भवन के छत से सीढ़ियों की सहायता से शहीद के शव को उतारा जाना दिखाते हैं | यह बहस की गई है कि साक्षी गण मुकेश एवं अरविन्द सप्तऋषि भवन में ही रहते थे जिसे दंगाईयो ने ले लिया था उनमे आवेदक और उसके साथी भी थे | वो छत पर गए और वो पुलिस

कर्मियों और जनसाधारण पर ईंट और अन्य सामग्री फेंकते रहे और इनके कुछ सदस्य गोलियाँ भी चलाए |

10. यह भी निवेदन किया गया है कि जब आवेदक थाने में था तो उसे अपना चेहरा ढककर रखने की सलाह दी गई थी लेकिन जब साक्षीगण पहुँचे तो उसने जानबूझकर अपना चेहरा खोल लिया ताकि टी.आई.पी. को विफल किया जा सके और केवल यही कारण था जिसके चलते टी.आई.पी. नहीं हो सकी थी | यह बहस की गई है कि अन्यथा भी टी.आई.पी. का मुख्य उद्देश्य यह पता करना होता है कि जाँच सही दिशा में जा रही है या नहीं | यह बताया गया है कि इन दोनों लोक साक्षीगण के अलावा सहायक उपनिरीक्षक राजेंदर सिंह एवं प्रधान आरक्षी दवेंदर ने भी आवेदक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत बयान दिया है और उसकी पहचान की है |

11. निःसंदेह प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब हुआ परन्तु उस समय रहने वाली प्रस्थितियो के कारण ही ऐसा हुआ / घटना के दिन मुझे बताया गया है कि एक दिन में लगभग 18689 पी.सी.आर. कॉल प्राप्त हुए थे; 3450 कॉल दयालपुर क्षेत्र से ही थे और इसके चलते प्रथिमिकी दर्ज करने में समय लगा / अंतिम प्रथिमिकी दिनांक 28.03.2020 को दर्ज की गई / कोविड-19 की महामारी ने जाँच में और भी विलम्ब उत्पन्न किया /

12. सप्तऋषि भवन उस जगह के सामने है जहाँ पुलिस दल के प्रधान आरक्षी रतनलाल को गोली लगी थी / उसके तुरंत बाद यह घटना घटी / शाहिद कथित रूप से दंगाईयों में से ही था और संभवतः पुलिस दल एवं जन साधारण पर गोलियाँ चलाने के दौरान कोई गोली गलत चल गई और निकट दायरे से शायद शाहिद को गोली लग गई क्योकि उसकी चोट निकट दायरे की है जैसा कि

सत्यापित है / अब जब कि विलम्ब तथा टी.आई.पी. नहीं किये जाने को प्रयाप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है तथा इस मामले के कम से कम चार गवाहों द्वारा आवेदक की पहचान स्थापित करने का तथ्य भी है तो इस न्यायालय द्वारा साक्ष को देखना उचित नहीं होगा /

13. इन समस्त अभिवाकों को जिनपर अभियुक्त भरोसा करता है आरोप पर बहस करते समय देखा जा सकता है परन्तु अपराध की गंभीरता एवं उसे अपराध में लिप्त करने वाले बयानात पर विचार करते हुए इस चरण में मैं आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने का इच्छुक नहीं हूँ ..../"

उपरोक्त मुकद्दमे में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2020 को पारित किये गए निर्णय की एक प्रति यहाँ अनुलग्नक की गई है और उसे अनुलग्नक-ए के रूप में चिन्हित किया गया है |

8. यह निवेदन किया गया है की इस मुकद्दमे में भी अभियुक्त / याचिकाकर्ता का नाम उसी लोक साक्षी मुकेश द्वारा लिया गया है जिसने अभियुक्त रईस खान का नाम लिया था | वर्तमान मुकद्दमें में भी आवेदक का नाम थाना दयालपुर के उन्ही दोनों पुलिस कर्मियों ने लिया है जिन्होंने रईस खान का नाम भी लिया था | अभियुक्त की पहचान से सम्बंधित वही आपत्ति जो वर्तमान याचिका में की गई है उक्त याचिका में भी उठाई गई थी जिसे उपर्युक्त निर्णय में न्यायालय ने रद्द कर दिया था | प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब का विवाद्यक, विषयगत प्राथमिकी में अभियुक्त के झूठे तौर पर फ़साये जाने का आधार, अभियोजन पक्ष के निवेदन में एन.डी.टी.वी. विडियो और टी.आई.पी. इत्यादि से सम्बंधित आधार, सभी उपरोक्त निर्णय में उठाये गए थे और उन्हें रद्द कर दिया गया था | वर्तमान मुकद्दमे में भी समान आधार उठाये गए है |

9. आगे यह निवेदन किया गया है कि ज़मानत के प्रयोजन हेतु लोक एवं पुलिस साक्षीगण के बयानात की सत्यता का उपरोक्त उद्धृत निर्णय में इस न्यायालय द्वारा पहले ही परीक्षण किया जा चूका है एवं उक्त बयानात का ध्यान पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् ही यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सह-अभियुक्त को ज़मानत देने का वर्तमान चरण उपयुक्त चरण नहीं था | उपरोक्त परिस्थितियां यथाआवश्यक परिवर्तन सहित वर्तमान मुकद्दमे पर भी लागू होती है | इससे बढ़कर याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी का सी.डी.आर. विश्लेषण भी अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति स्थापित करता है | यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता 4-G मोबाइल फ़ोन प्रयोग कर रहा था जो 20 मीटर तक के ठीक स्थान को बतलाता है | उक्त तथ्य याचिकाकर्ता के आधार को गलत साबित करता है कि याचिकाकर्ता के सी.डी.आर. स्थान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका दायरा 500 मीटर का है | इससे बढ़कर, अपराध स्थल

अर्थात् सप्तऋषि भवन उस स्थान के सामने है जहाँ पुलिस दल के प्रधान आरक्षी रतन लाल को गोली लगी थी | उसके तुरंत बाद यह घटना घटी | उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य का भी परीक्षण किया गया था|

10. फ़ाज़िल अतिरिक्त महा सोलिसिटर ने आगे निवेदन किया कि अन्वेषण के दौरान चश्मदीद गवाह अर्थात् मुकेश, अरविन्द और नारायण का पता लगाया गया (मज़दूर) जो भवन में उस समय उपस्थित था जब लोहे के द्वार को तोड़ कर बेहंगम भीड़ जबरदस्ती भवन में घुस गई थी | दिनांक 08.03.2020 को साक्षीगण को जाँच में शामिल किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनके बयानात अभिलिखित किये गए | सभी चश्मदीद गवाहों ने बयान किया कि वो उन दंगाईयों को पहचान सकते हैं जो लोहा द्वार को तोड़ने के पश्चात सप्तऋषि भवन के अन्दर जबरदस्ती घुसते समय अपना चेहरा नहीं ढके थे और जिन्होंने

छत पर से पुलिस दल पर पथराव करने में सक्रीय रूप से भाग लिया था | इसके अलावा चश्मदीद गवाह मुकेश ने जाँच के दौरान दंगाईयों के सक्रीय सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता को पहचान लिया था | इसके अलावा थाना दयालपुर के पुलिस कर्मी जो प्रदर्शन स्थल पर लगातार कार्यरत रहे उन्होंने भी अपने बयान में गवाही दिया कि वो समय-समय पर प्रदर्शन में आने वाले बहुत सारे लोगों के चेहरे से भलीभांति परिचित हैं जिन्होंने घटना के दिन अर्थात 24.02.2020 के दंगें में सक्रीय रूप से भाग लिया था | अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/ गोकलपुरी के छापामार दल के सदस्य आरक्षी अमित एवं आरक्षी आजाद ने भी दंगें में बेहंगम भीड़ के सक्रीय सहभागी के रूप में याचिकाकर्ता को पहचान लिया है |

11. आगे निवेदन किया कि जाँच के दौरान एन.डी.टी.वी. से प्राप्त विडियो फुटेज विश्लेषण के पश्चात् यह स्थापित हो गया कि मृतक शाहिद को सप्तऋषि भवन की छत पर ही बन्दूक की गोली लगी थी | याचिकाकर्ता

भी बेहंगम भीड़ के सदस्य के रूप में वहां उपस्थित था | भवन के छत पर इक्कट्ठे भीड़ लोगों के साथ-साथ पुलिस दल पर पत्थर फेंकती हुई दिखती है | तथापि याचिकाकर्ता का नाम प्रथमतः सह-अभियुक्त रईस खान द्वारा अपने इनकेशाफी बयान में लिया गया जिसे वर्तमान मुकद्दमे में पहले ही हिरासत में लिया गया था | तद्पश्चात स्थानीय मुखबिर की सूचना पर उसका अता-पता चिन्हित किया गया और जाँच में शामिल होने के लिए उसपर नोटिस की तामील की गई | जाँच के दौरान, पहचान और चश्मदीद गवाह मुकेश एवं दो पुलिस कर्मियों के बयान के आधार के साथ-साथ सी.डी.आर./डंप डाटा विश्लेषण के आधार पर याचिकाकर्ता को वर्तमान मुकद्दमे में गिरफ्तार किया गया |

12. फ़ाज़िल अतिरिक्त महा सोलिसिटर आगे निवेदन करते हैं कि चश्मदीद गवाह मुकेश एवं मौका पर उपस्थित दो पुलिस कर्मियों के बयान के साथ-साथ याचिकाकर्ता की सी.डी.आर. का विश्लेषण दर्शाते हैं

कि याचिकाकर्ता अपराध स्थल पर उपस्थित था | अतः याचिकाकर्ता के व्यवहार पर विचार करते हुए इसकी पूरी सम्भावना है कि याचिकाकर्ता ज़मानत पर रिहा किये जाने की स्थिति में भाग जायेगा | मज़ीद, याचिकाकर्ता का स्वभाव, पूर्वृत्ति ,व्यवहार, माध्यम, स्थान और हैसियत उसे जमानत मांगने का हकदार नहीं ठहराते | इसकी भी संभावना है कि यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाय तो वो ऐसे कार्यों में लग जाएगा | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षीगण कार्य करने वाले लोग है और उसी स्थान पर रहते हैं और मज़दूर होने के चलते समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं अतः इसकी भी आशंका है कि याचिकाकर्ता गवाहों को प्रभावित करेगा | आगे उपरोक्त समस्त तथ्य (ज़मानत नहीं देने के आधार) का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2020 और दिनांक 16.10.2020 के आदेश में जो रईस खान की जमानत वाले मामले में पारित किये गए थे परीक्षण किया जा चुका है और वह अभियोजन के

पक्ष में तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध ठहराए गए थे | इस प्रकार वर्तमान याचिका ख़ारिज किये जाने योग्य है |

13. पक्षकारों के फ़ाज़िल अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर रखी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया |

14. मृत्यु उपरांत परीक्षण आख्या के अवलोकन पर जो पृष्ठ संख्या 36 और 37 के साथ-साथ पृष्ठ संख्या 65 और 66 पर दी गई है जो शाहीद को लगी बन्दूक की गोली का परीक्षण करती है जिसके चलते उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई | विश्लेषण के अनुसार बन्दूक की गोली लगभग सांय 4 बजे लगी थी | ऊपर उल्लिखित निवेदन पर यह कहा गया है कि अभियोजनपक्ष अपराध स्थल अथवा उस क्षेत्र में याचिकाकर्ता की उपस्थिति स्थापित करने में विफल रहा है | आगे ज़ख्म के आस-पास कोई कालापन, झुलसना अथवा दाग़ नहीं दिखाई पड़ता जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि यह ज़ख्म पास अथवा बहुत कम दूरी का ज़ख्म

नहीं था | इसके बजाय यह ज़ख्म लम्बी दूरी वाली गोली से लगा था जो इस तथ्य को इंगित करता है कि लम्बी दूरी से चलने वाली गोली किसी ऐसे भवन से चली थी जो सप्तऋषि भवन के सामने हो तथा उतनी ही दूरी अथवा मोहन नर्सिंग होम से चलायी गई हो क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किये गए विडियो में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कैसे कुछ असामाजिक तत्व मोहन नर्सिंग होम भवन की छत से सप्तऋषि भवन एवं अन्य स्थानों पर रायफल से गोलियाँ चला रहे थे और यह तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा आगे भी स्वीकार किया गया है जब वो आरोप पत्र के पृष्ट संख्या 37 पर शब्द 'संभावना' का प्रयोग करते हैं | क्योंकि जब वो अश्वस्त नहीं हैं कि कहाँ से बन्दूक की गोली लगी तो वो कैसे अश्वस्त हो सकते हैं कि यह नज़दीक से लगी गोली है क्योंकि वो पूर्व में ही उल्लिखित कर रहें हैं कि "संभावना" है अपितु निश्चित अथवा अश्वस्त नहीं |

15. मज़ीद, पूर्व मृत्यु चोट (आख्या) ज़ख्म की शक्ल और ट्रैक के प्रारंभिक भाग के रंग को उल्लिखित नहीं करती जो गोली के दायरे को निर्णित करने के लिए अनिवार्य है | ज़ख्म की शक्ल दायरे और प्रयुक्त हथियार पर निर्भर करती है | इस मुकद्दमा में न शक्ल उल्लिखित की गई है और न ही हथियार बरामद किया गया है | इसलिए निकट दायरे की गोली का अनुमान केवल जाँच अभिकरण का एक भ्रम है जो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है | केवल इसलिए कि मृत्यु उपरांत परीक्षण आख्या अनुसार शरीर के बाहरी ज़ख्म के पास तांबा के जैसे टुकड़े पाए गए थे इससे निकट दायरे से गोली लगना सिद्ध नहीं होता | केवल यही एक आधार था जिस पर जाँच अभिकरण यह निष्कर्ष निकाला कि "निकट पास से संभवतः गोली लगी थी" जो वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है |

16. यहाँ यह उल्लिखित करना भी अनुचित नहीं है कि मृत्यु उपरांत परीक्षण आख्या में ज़ख्म की दिशा जिससे (गोली) शरीर में घुसी है बायीं

ओर दिखाई गई है जो नीचे जाते हुए दायीं ओर से निकली है | इसका तात्पर्य यह है की गोली ऊँचाई से लगी थी और दूर से इस प्रकार इस संभावना को स्थापित करती है कि गोली मोहन नर्सिंग होम से आई अथवा किसी ऐसे भवन से जो सप्तऋषि भवन के बायीं ओर हो और ऐसी ऊँचाई से जो सप्तऋषि भवन के सामने एवं बाएं कोने पर हो और उसकी ऊँचाई सप्तऋषि भवन से ज्यादा हो | यदि यह नजदीक दायरे से चली होती तो गोली सीधी जाती बजाय इसके कि शरीर में बायीं ओर से घुसती और दायीं ओर से निकलती और वो भी नीचे की ओर | इससे बढ़कर, नज़दीक पास वाले दायरे से लगी गोली की स्थिति में अवशेष जैसे सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाईऑक्साइड, आदि अवश्य रूप से ज़ख्म के प्रवेश पर मौजूद होते परन्तु मृत्यु उपरांत परीक्षण आख्या में ऐसे किसी अवशेष का उपलब्ध होना उल्लिखित नहीं है |

17. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा जैसा कि निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा भरोसा किये गए विडियो में ही विडियो को चलाने के ठीक 10 मिनट बाद यह देखा जा सकता है कि रविश कुमार, एन.डी.टी.वी. प्राइम टाइम एंकर बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति मोहन नर्सिंग होम हॉस्पिटल से रायफल से गोली चला रहा है और हेलमेट पहने हुआ है दूसरा व्यक्ति भी है जो हथियार को रूमाल से ढके हुआ है और दोनों बाद में विडियो में देखे भी जा सकते हैं | परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच अभिकरण भवन के केवल एक ओर केन्द्रित है यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया मामला है कि दोनों ओर से दंगाई एक दुसरे पर पत्थर मार रहे थे और गोलियाँ चला रहे थे | आगे इस विडियो में केवल मोहन नर्सिंग होम से गोली चलायी जानी दिखाई दे रही है और सप्तऋषि भवन से नहीं दिख रही है |

18. उपरोक्त निवेदन को दृष्टि में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि याचीगण के विरुद्ध कोई साक्ष नहीं है चाहे प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिगत अथवा फोरेंसिक | इसके अतिरिक्त उनका अथवा सप्तऋषि भवन की छत पर कथित रूप से उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति का यह अपराध करने का कोई उद्देश्य नहीं था और पूरे मुकद्दमा में अभियोजन पक्ष ने किसी उद्देश्य का आरोप भी नहीं लगाया | इस प्रकार यह विश्वास करना कठिन है की याचिकाकर्तागण अपने ही समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए सांप्रदायिक दंगे का प्रयोग करेंगे | मज़ीद जब यह अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया मामला है की याचीगण ने सप्तऋषि भवन की छत पर चढ़ने से पूर्व वास्तविक रूप से अन्य समुदाय के गवाहों अर्थात मुकेश, नारायण, अरविन्द एवं उनके परिवार को जाने दिया और उनसे कहा कि अपनी जान बचाने के लिए अपराध स्थल से भाग जाएँ | यदि वो वास्तविक रूप से सांप्रदायिक दंगे में शामिल होते

और अन्य समुदाय/हिन्दू समुदाय के सदस्यों को छति पहुचाना चाहते तो अन्य समुदाय के उपरोक्त सदस्यों की जान बचाने का प्रयास नहीं किये होते |

19. इसके अतिरिक्त, याचीगण की ज़मानत अर्ज़ी के जवाब में जाँच अभिकरण ने स्वयं बयान किया है कि मुख्य हमलावर जिसने मृतक शाहिद को गोली मारा था अभी पकड़ा जाना बाकी है | स्वीकार रूप से याचीगण से गोली बन्दूक अथवा किसी अन्य हथियार की बरामदगी नही की गई है |

20. यह न्यायालय ज़मानत अर्ज़ी संख्या 922/2020 में दिनांक 06.07.2020 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा सह-अभियुक्त रईस खान को ज़मानत नहीं दिए जाने के बारे में अवगत है | उक्त आदेश के अवलोकन और पक्षकारों के परस्पर प्रतिविरोध पर विचार करने के पश्चात मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि

वर्तमान याचिका में पेश किये गए तथ्य उपरोक्त सह-अभियुक्त की ज़मानत अर्ज़ी का फैसला करते समय न्यायालय के समक्ष नहीं लाये गए थे |

21. अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं इस तथ्य को देखते हुए कि आरोप अभी विरचित किये जाने बाकी हैं और इसलिए विचारण में प्रयाप्त समय लगेगा, मेरा विचार है कि याचिकागण ज़मानत के हकदार हैं |

22. तदनुसार, विचारण न्यायालय की संतुष्टि अनुसार रूपये 25,000/- की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र सहित उसी राशि के एक-एक प्रतिभू जमा करने पर उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जायेगा |

23. तदनुसार याचिकाएं मंज़ूर की जाती है और इनका निपटान किया जाता है |

24. मैं <u>एतददद्वारा</u> यह स्पष्ट करता हूँ कि इस न्यायालय द्वारा की गई टीका-टिपण्णी केवल यह आदेश पारित करने के लिए हैं और उनसे विचारण न्यायालय प्रभावित नहीं होगा |

25. याचीगण गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और साक्ष से छेड़छाड़ नहीं करेंगे |

26. आवश्यक अनुपालन हेतु इस आदेश की प्रति संपृक्त जेल अधीक्षक एवं विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाय |

27. निर्णय इस न्यायालय की वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जाय |

(सुरेश कुमार कैत)
नयायाधीश

19 फरवरी, 2021/आर के

(SUVAS :Translation has been done through AI Tool)

अस्वीकरण :*देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा /समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी/*